उत्तर प्रदेश सरकार,
आवास अनुभाग–2,
संख्या–2365 / 37–2–1993
लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर, 1993

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ. प्र. अधिनियम सं. 1 सन् 1966) की धारा–1 की उपधारा (3) सपठित धारा –62 की उपधारा (2) एवं उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उ. प्र. अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–39 की उपधारा (2) सपठित संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यू.पी. ऐक्ट–1 सन् 1904) की धारा 21 के अधीन अधिकरों का प्रयोग करते हुये, उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना सं.ख्या–239 / 37–2–8एच. पी / 65 दिनांक 4–12–1971, 2353 / 11–587–167–डी.ए.87 दिनांक 23–9–87, 3110 / 37–2-88-3 एच.वी. (178) / 88, दिनांक 23–9–1988 एवं समय–समय पर उक्त विषय पर, जारी अन्य अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, एवं उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2सन् 1959) की धारा–191 की उपधारा (2) तथा संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू. पी. एक्ट नं. 2 सन्, 1916) की धारा–128–क की उपधारा (2) के अनुसरण में श्री राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि प्रदेश की जिन नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर की नियमावली गजट में प्रकाशित एवं प्रभावी हो गयी है, उन्हें उक्त कर की धनराशि उनकी नियमावली प्रभावी होने की दिनांक से निम्नानुसार आहरित होगी :–

(1) जहाँ पर उ. प्र., आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं, वहां पर प्राधिकरण या परिषद तथा नगर महापालिका / नगरपालिका को उक्त कर का भुगतान आनुषांगिक व्यय काटकर 50:50 के अनुपात में किया जायेगा, या

(2) जहाँ पर परिषद या प्राधिकरण कार्यरत नहीं हैं, वहाँ पर उक्त कर की 2 प्रतिशत धनराशि नगरमहापालिका / नगरपालिका को आनुषांगिक व्यय काटकर प्राप्त करायी जायेगी।

आज्ञा से,
ह.
रवीन्द्र शंकर माथुर
प्रमुख सचिव

संख्या–2365(1)/37–2–1993 तद् दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड–ख, भाग–4 में दिनांक सितम्बर, 1993 को प्रकाशित करने तथा अधिसूचना की 25 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषितः

आज्ञा से,
ह.
जय प्रकाश
संयुक्त सचिव

संख्याः 2365(2)/37–2–1993 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश, राजस्व परिषद, इलाहाबाद
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर महापालिकाओं के मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट्स, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अध्यक्ष, नगरपालिका, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग।
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश।
11. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह.
जय प्रकाश
संयुक्त सचिव